"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 नवम्बर 2010—कार्तिक 17, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्र. 12235/2905/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परामर्श से, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006" में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"**अधिवार्षिकी आयु.** 13. (1) उप नियम 2 के प्रावधानों के अधीन, सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस माह की अंतिम तारीख को अपरान्ह, सेवा से निवृत्त होगा, जिस तारीख को वह 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करता है,

परंतु, सेवा के जिस सदस्य का जन्म, किसी माह के प्रथम तारीख को हुआ है, वह पूर्ववर्ती माह की अंतिम तारीख को अपरान्ह, जब वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, सेवा से निवृत्त होगा.

(2) सेवा का कोई भी सदस्य, लोकहित में, सेवा में 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने पर अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, जो भी पहले हो, किसी भी समय, बिना कोई कारण बताये, सेवानिवृत्त किया जा सकता है,

(3) सेवा का कोई सदस्य, उप नियम 2 के अंतर्गत समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया जाए या नहीं, के परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु, ऐसे सदस्य के, सेवा के पूर्व अभिलेख, चरित्रावली, निर्णय/आदेश के गुणवत्ता एवं अन्य सुसंगत विषय जैसे सत्यनिष्ठा, ख्याति तथा उसके उपयोगिता के संबंध में, निष्कर्ष हेतु, मुख्य न्यायाधिपति, छानबीन समिति का गठन कर सकेंगे."

Raipur, the 11th November 2010

NOTIFICATION

No. 12235/2905/21-B/C. G./2010.—In exercise of the powers conferred by article 233 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in "The Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006" with immediate effect, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For rule 13, the following shall be substituted, namely —

"**Superannuation Age.** 13. (1) Subject to the provisions of Sub-rule (2), every member of the service shall retire from the service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years.

Provided that a member of service whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) A member of the servive may, in the public interest, be retired at any time after he has completed 20 years qualifying service, or he attains the age of 50 years, whichever is earlier, without assigning any reason.

(3) For finding out, whether a Member of the Service should be retired prematurely under sub-rule (2), the Chief Justice may constitute a Screening Committee for the scrutiny and assessment of such member of the service, based on his past record of service, character rolls, quality of judgments/orders and other relevant matters like his integrity, reputation and utility.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्र. 12237/2905/21–ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परामर्श से, एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2006" में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"**अधिवार्षिकी आयु.** 15. (1) उप नियम 2 के प्रावधानों के अधीन, सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस माह की अंतिम तारीख को अपरान्ह सेवा से निवृत्त होगा, जिस तारीख को वह 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करता है,

परंतु सेवा के जिस सदस्य का जन्म, किसी माह के प्रथम तारीख को हुआ है, वह पूर्ववर्ती माह की अंतिम तारीख को अपरान्ह, जब वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, सेवा से निवृत्त होगा.

(2) सेवा का कोई भी सदस्य, लोकहित में, सेवा में 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने पर अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, जो भी पहले हो, किसी भी समय, बिना कोई कारण बताये, सेवानिवृत्त किया जा सकता है,

(3) सेवा का कोई सदस्य, उप नियम 2 के अंतर्गत समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया जाए या नहीं, के परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु, ऐसे सदस्य के, सेवा के पूर्व अभिलेख, चरित्रावली, निर्णय/आदेश के गुणवत्ता एवं अन्य सुसंगत विषय जैसे सत्यनिष्ठा, ख्याति तथा उसके उपयोगिता के संबंध में, निष्कर्ष हेतु, मुख्य न्यायाधिपति, छानबीन समिति का गठन कर सकेंगे."

Raipur, the 11th November 2010

NOTIFICATION

No. 12237/2905/21-B/C. G./2010.—In exercise of the powers conferred by article 233 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in "The Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006" with immediate effect, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For rule 15, the following shall be substituted, namely :—

"**Superannuation Age.** 15. (1) Subject to the provisions of Sub-rule (2), every member of the service shall retire from the service on the afternoon of the last day of the month, in which he attains the age of sixty years.

Provided that a member of service whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) A member of the servive may, in the public interest, be retired at any time after he has completed 20 years qualifying service, or he attains the age of 50 years, whichever is earlier, without assigning any reason.

(3) For finding out, whether a Member of the Service should be retired prematurely under sub-rule (2), the Chief Justice may constitute a Screening Committee for the scrutiny and assessment of such member of the service, based on his past record of service, character rolls, quality of judgments/orders and other relevant matters like his integrity, reputation and utility.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.